

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं०

83

191

आवेदन सं०

1

एक श्री श्री गुरुदेव कन्हैयालाल ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सत्यवाहकों और अवधारणों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आरेखन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अबमारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता. 2014 19 से ता. 11/12/19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबमारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	फरों के नाम		दास्तावेज की प्रगति के प्रति विवेक		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मीना - फुलवारी झील			तीक	खान	विसा			
धाम 35			5160	807	918 (P)			
पल पटना			5166	632	919 (P)			
					925 (P)			

- (ख) 1. बंधक-पत्र की दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बरातें कि इनके बारे में
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

6 यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त सच्यवहार और अन्वयों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सच्यवहार और अन्वय का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया

(हस्ताक्षर) पुन्ना उमिल

(पदनाम) एन

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) [Signature]

(पदनाम)

कार्यालय अवर निबंधक, फुलबारी शरीफ, पटना

दिनांक



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अवर निबंधक
फुलबारी शरीफ
पटना

विषय - इस प्रमाण-पत्र में जो सच्यवहार और अन्वय दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसे दस्तावेजों में प्रमाणित सच्यवहार (दस्तावेज) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रमाणित देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अन्वयों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिना किसी भी मुकदमा करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

किन्तु धुंके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अलाश तलाशी अपने परसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाश विवरण की किसी भी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

और धुंके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और धुंके उसके द्वारा गये सच्यवहार और अन्वयों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न बुद्ध गये ऐसे सच्यवहार और अन्वयों को धुंके के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

श्रीपंक 83 दिनांक 9.10.2020

प्रतिलिपि - L.S.C Housing Finance L.t.d.

फुलबारी शरीफ पटना

दिनांक

अवर निबंधक
फुलबारी शरीफ
पटना

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

उपलब्ध एवं धारा 20 के अन्तर्गत आवेदन सं० 149 20 20
 प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं०
 दूक्री श्री Upendra Rajwani and Rohit Kumar Khemka

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 02 से ता० 30-01-2014
 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता धला
 चला है अतः अवभार मुक्त

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दरतावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — Phulwari Sharif							
	Thana No — 35							
	Khata No — 807 and 632							
	Plot No — 918(P), 919(P), 925(P)							
	Sub Plot No — E 3/2							
	Tauzi No — 5160 and 5166							
	Area of Plot — 7000 Sq.ft							

SHREE KRISHNA CONSTRUCTIONS

Upendra Rajwani

PARTNER

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त की उनके बारे में उल्लेख हो।
 3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): M. Huseem

(पदनाम):

तलासी का संस्थापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): 21/01/2020

(पदनाम):

कार्यालय: Patna

तारीख:

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

13.01.2020

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्य) और अनुक्रमाधियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमाधियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(न) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को संस्थापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की धूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक

ज्ञाप संख्या

286

दिनांक

13.01.2020

आवेदक श्री

Upendra Rajwani and Rohit Kumar Khemka

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

Manager, LIC Housing Finance Ltd,

Patna.

का उनके पत्र संख्या

दिनांक 20/12/2019

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

LICHP/LA/O/Patna/LA!

निबंधन पदाधिकारी,

Patna

13.01.2020